रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22, 1969 (फाल्गुन 3, 1890)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 22, 1969 (PHALGUNA 3, 1890)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 6 फरवरी 1969 तक प्रकाशित किए गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 6th February 1969 :—

अंक Issue No. 1	संख्या और तारीख No. and Date 2	द्वारा जारी किया गया Issued by 3	विषय Subject 4
14	No. 5-Pres/69, dt. 26-1-69 सं 5–प्रेज/69 दिनांक 26-1-69	President's Secretariat राष्ट्रपति सचिवालय	Presidential awards. राष्ट्रपतिय उपाधियाँ
15	No. 19-ITC (PN)/69, dt. 27-1-69	Min. of Commerce	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1968—March, 1969.
	No. 20-ITC (PN)/69, dt. 27-1-69	Do.	Import Policy for the period April/68—March/69.
	No. 21-ITC (PN) /69, dt. 27-1-69	Do.	Terms and conditions applicable to import licences against U. K. credit—3rd, 4th & 5th Kipping Loans, and food Emergency Loans, 1966—Payment Procedure.
16	No. 22-ITC (PN)/69, dt. 29-1-69	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 68—March, 1969.
	No. 23-ITC (PN)/69, dt. 29-1-69	Do.	Export effort by units engaged in priority or other industries during the year 1968—Production of evidence regarding.
17	No. 24-ITC(PN)/69, dt. 30-1-69	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1968—March 1969.
18	No. 25-ITC (PN)/69 dt. 3-2-69	Do.	Do.
	No. 26-ITC(PN)/69, dt. 3-2-69	Do.	Do.
	No. 27-ITC(PN)/69, dt. 3-2-69	Do.	Do.
	No. 28-ITC (PN)/69, dt. 3-2-69	Do.	Do.
	No. 29-ITC (PN)/69, dt. 3-2-69	Do.	Do.
19	No. 30-ITC (PN)/69, dt. 6-2-69	Do.	Import of equipment components, raw materials etc. for the fisheries industry under the Norweigian Development credit 1968— Procedure and conditions for licenisng Private/Publicsector imports.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes.*

461GI/68

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	139
भाग I—खंड 2.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	223
भाग I—खंड 3.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	—
भाग I—खंड 4.—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	129
भाग II—खंड 1.—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2.—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	625
भाग II—खंड 3.—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	621
भाग II—खंड 4.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	75
भाग III—खंड 1.—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	177
भाग III—खंड 2.—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	65
भाग III—खंड 3.—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	27
भाग III—खंड 4.—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	149
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	37
पूरक संख्या 8—	
15 फरवरी 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	279
25 जनवरी 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बिमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	293

	Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	139
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court — ..	223
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	129
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) —	625
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	621
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	75
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	177
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	65
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	27
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	149
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	37
SUPPLEMENT NO. 8—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 15th February 1969 ..	279
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 25 January 1969 — ..	293

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम् न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 1968

विषय :—**प्रकृष्ट निर्यात निष्पादन को सार्वजनिक मान्यता देने के लिए पुरस्कार**

सं० II(8)/66-ई० ए० सी०—प्रकृष्ट निर्यात निष्पादन को मान्यता देने हेतु पुरस्कार रखने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन रहा है । व्यापार बोर्ड को इस विषय पर विचार-विमर्श करने का एकाधिक बार अवसर मिला और उसने ऐसे पुरस्कार रखने की सिफारिश की है । इससे सम्बन्धित सुझावों पर सरकार ने सावधानी पूर्वक विचार किया है और उससे विनिश्चय किया है कि निर्यातों के क्षेत्र में प्रकृष्ट निष्पादन को मान्यता देने हेतु पुरस्कार रखे जाएं जो उन फर्मों, संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों को दिए जाएं जो निर्यात व्यापार के विस्तार में विशिष्ट योगदान दें । लोक निगम, बैंक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सहायक सामान के पूर्त्तिकर्त्ता और सेवाओं जैसी संस्थाएं भी पुरस्कार के लिए पात्र हैं ।

2. पुरस्कार चल रजत फलकों के रूप में होंगे । इन पुरस्कारों के विजेताओं को अपने पास रखने के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे ।

3. प्रति वर्ष दस तक पुरस्कार दिए जाएंगे । यदि यह समझा गया कि पात्र प्रत्याशियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो किसी भी वर्ष में कम संख्या में भी पुरस्कार दिए जा सकते हैं ।

4. उपर्युक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त, प्रत्येक निर्यात संवर्द्धन परिषद और वस्तु बोर्ड के पंजीकृत सदस्यों में से सर्वोत्तम निर्यातक को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, परन्तु चयन समिति अपने स्व-विवेक से निर्णय कर सकती है कि किसी वर्ष विशेष में किसी भी निर्यात संवर्द्धन परिषद/वस्तु बोर्ड को ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए ।

5. चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, पुरस्कारों तथा प्रशस्ति पत्रों के विषय में वाणिज्य मंत्री को सिफारिश करेगी :—

(1) वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ।

(2) अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ, नई दिल्ली ।

(3) अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों का संघ, नई दिल्ली ।

(4) महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी ।

(5) संयुक्त सचिव (निर्यात संवर्द्धन), वाणिज्य मंत्रालय-सचिव ।

6. वाणिज्य मंत्रालय प्रति वर्ष नामांकन प्राप्त करने के लिए समयक्रम निर्धारित करेगा और इस विषय में समुचित प्रचार करेगा ।

7. चयन समिति पुरस्कारों तथा प्रशस्ति पत्रों के लिए प्रायोजक प्राधिकारियों जो प्रत्येक के सामने दिखाई गई वस्तुओं के मामले में निम्नोक्त होंगे, से प्राप्त नामांकनों की समीक्षा करेगी :—

(क) निर्यात संवर्द्धन परिषद	उनसे सम्बद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में ।
(ख) वस्तु बोर्ड	
(ग) वस्त्र आयुक्त	: वस्त्र
(घ) पटसन आयुक्त	: पटसन का माल
(ङ) निर्यात संवर्द्धन अधिकारी तथा पत्तनों पर आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक ।	अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में
(च) इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य संगठन ।	

8. प्रायोजक प्राधिकारी एक क्रियाविधि के अनुसार, जिसके ब्यौरे अलग से घोषित किए जाएंगे, निर्धारित फार्म में विवरण देकर नामांकन पत्रों को अग्रसर करेंगे । नामांकन पत्र व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के किसी मंडल अथवा संगम द्वारा भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वे उपर्युक्त प्रायोजक अभिकरणों के माध्यम से भेजे जाएंगे ।

9. कण्डिका 1 में निर्दिष्ट पुरस्कार के लिए पात्रता निम्नोक्त बातों पर आधारित रहेगी :—

(1) ऐसे उत्पाद के लिए विदेशों में बाजार का विकास जिसका पहले निर्यात न हुआ हो ।

(2) दीर्घकालिक आधार पर निर्यात बिक्रियों में सारवान वृद्धि, यह वृद्धि अपरम्परागत वस्तुओं तथा तैयार उत्पादों की बिक्री में हो तो अधिक अच्छा माना जाएगा ।

(3) निर्यात व्यापार में किसी नए निर्यात उत्पाद का सफल प्रवर्त्तन ।

(4) उत्पाद विकास ।

(5) किसी भी विदेशी बाजार में, जहां परिस्थितियां विशेषतया कठिन हों, सफल प्रवेश ।

(6) निर्यात बाजारों में खोए हुए आधार की पुनः प्राप्ति ।

(7) विदेशी व्यापार की समस्याओं के नवीन तथा सफल समाधान ।

(8) अंतर्राष्ट्रीय विपणन तथा उत्पाद विकास के लिए प्रमाणित प्रयास जिनसे सामान्यतः निर्यात विकास में प्रत्यक्ष योगदान मिले ।

(9) निर्यात व्यापार के विकास के लिए तथा अन्य वित्तीय सहायता के लिए ऋण उपलब्ध कराने में प्रमाणित प्रयास ।

(10) बाजार सर्वेक्षण जिनके फलस्वरूप सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र को निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो ।

(11) निर्यात निष्पादन अथवा संवर्द्धन के क्षेत्र में अन्य कोई उल्लेखनीय योगदान ।

10. किसी विशिष्ट व्यापार कारोबार अथवा प्रयास के क्षेत्र के लिए निर्यात प्रयासों में अंतर्निहित बाधाओं के आधार पर ऐसे क्षेत्र के लिए पुरस्कारों का कोई आरक्षण नहीं है ।

11. कण्डिका 1 में निर्दिष्ट पुरस्कारों के विजेताओं को अपने कर्मचारियों को लैपल पिनें, टाइयां, अथवा अन्य विशिष्ट बिल्ले जिन पर वृत्त में 'ओ० ई० पी०' अंकित हो, देने का विशेषाधिकार होगा । पुरस्कारों के विजेताओं को इस प्रतीक को अपने पत्रों के शीर्षनामों अथवा उनके द्वारा जारी किए गए किसी विज्ञापन में प्रयुक्त करने का भी विकल्प रहेगा । ऐसे सभी मामलों में पुरस्कारों का वर्ष अनिवार्यतः उल्लिखित होगा ।

12. कण्डिका 4 में निर्दिष्ट प्रशस्ति पत्रों के विजेता अपने पत्रों के शीर्षनामों अथवा उनके द्वारा जारी किए गए किसी विज्ञापन में इस तथ्य का उल्लेख, प्रशस्ति पत्र जारी किए जाने के वर्ष का उल्लेख करके, कर सकेंगे ।

13. कण्डिका 11 तथा 12 में निर्दिष्ट विशेषाधिकार पुरस्कार अथवा प्रशस्ति पत्र दिए जाने की तारीख से तीन वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा परन्तु पुरस्कार-धारी बाद के वर्षों में, यदि उपयुक्त सिद्ध हो, अतिरिक्त पुरस्कार जीत सकता है ।

14. पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्रों के विजेताओं के नाम विदेश स्थित सभी भारतीय व्यापार मिशनों को भेजे जाएंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाए ।

दिनांक 16 जनवरी 1969

संकल्प

विषय :—**प्रकृष्ट निर्यात को सार्वजनिक मान्यता हेतु पुरस्कार**

सं० II(8)/66-ई० ए० सी०—उपर्युक्त विषय पर भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 दिनांक 23 नवम्बर 1968 में प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

संकल्प की विद्यमान कंडिका 5 **के स्थान पर** निम्नलिखित रखा जाए, **अर्थात्** :—

"5 एक चयन समिति, जिसमें निम्नोक्त होंगे, पुरस्कारों तथा प्रमाणपत्रों हेतु वाणिज्य मंत्री को सिफारिश करेगी :—

(1) उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा निवृत्त न्यायाधीश ।

(2) वाणिज्य मंत्रालय के सचिव ।

(3) अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ, नई दिल्ली ।

(4) अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों का संघ, नई दिल्ली ।

(5) अध्यक्ष, एसोशियेटिड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इंडिया, कलकत्ता ।

(6) संयुक्त सचिव (निर्यात संवर्द्धन), वाणिज्य मंत्रालय ।

(7) वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी के महानिदेशक ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक-एक प्रति सभी संबद्धों को भेजी जाए ।

ए० सी० बनर्जी, संयुक्त सचिव,

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

(इसी संख्या और तिथि की अधिसूचना के बदले में)

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 1968

सं० को० 6-7(12)/68—कोयला मन्त्रणा परिषद् के, जिसका गठन दिनांक 12 जून, 1968 के संकल्प सं० को०-6-7(1)/67 के द्वारा किया गया था, संघटन में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, इंडियन माइन मैनेजरज ऐसोसियेशन, माइनिंग, जिओलाजिकल एण्ड मैटालरजिकल इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया, इंडियन कोल मर्चेंटस एसोसिएशन और मुख्य कोयला

उत्पादक राज्यों, इनमें से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है । तथापि, परिषद्, के कार्यों आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा । नए सदस्यों के सम्मिलित होने से परिषद् का संघटन निम्न प्रकार से होगा :—

अध्यक्ष

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री ।

सदस्य

1. फडरेशन आफ इंडियन चम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के अध्यक्ष..... **(पदेन)**
2. एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री आफ इंडिया के अध्यक्ष..... **(पदेन)**
3. मुख्य कोयला उत्पादक राज्यों अर्थात, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और उड़ीसा का एक-एक प्रतिनिधि ।
4. मुख्य कोयला उपभोक्ता राज्यों के दो प्रतिनिधि । (वार्षिक क्रमावर्तन द्वारा)
5. सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग का एक प्रतिनिधि ।
6. इस्पात-उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का एक-एक प्रतिनिधि ।
7. इंडियन माईनिंग एसोसियेशन, इंडियन माईनिंग फेडरेशन, इंडियन कोलरी ओनर्ज़ एसोसियेशन तथा मध्य प्रदेश एण्ड विदर्भ माईनिंग एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोयला उद्योग की संयुक्त कार्यकारी समिति के चार प्रतिनिधि ।
8. इंडियन कोल कनस्यूमर्स एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि ।
9. साफ्ट कोक प्रोडयूसर्ज कोलरीज एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि ।
10. श्रमिकों का एक प्रतिनिधि ।
11. इंडियन माइनस मैनेजरज़ एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि ।
12. माइनिंग, जिओलाजिकल एण्ड मैटलार्जिकल इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया का एक प्रतिनिधि ।
13. इंडियन कोल मर्चेंटस एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि ।
14. अध्यक्ष, कोयला बोर्ड ।
15. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड ।
16. प्रबन्ध निदेशक, सिंगरैनी कोलरी कम्पनी लि० ।
17. प्रबन्ध निदेशक, नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड ।
18. महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषण परिषद् ।
19. निदेशक, केन्द्रीय ईंधन गवेषणा शाला ।
20. निदेशक, भारतीय खनन गवेषणा शाला ।
21. निदेशक, इंडियन स्कूल आफ माइन्स ।
22. महानिदेशक, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ।
23. खान सुरक्षा के महानिदेशक ।
24. महानिदेशक, तकनीकी विकास ।
25. कोयला खनन सलाहकार, खान तथा धातु विभाग, इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय ।
26. रेलवे विभाग के प्रतिनिधियों सहित भारत सरकार के दस प्रतिनिधि ।
27. निदेशक, खान तथा धातु विभाग, इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय..... **(सदस्य सचिव)**

परिषद् की कार्यावधि इसके गठित किए जाने की तिथि, अर्थात् 12-6-1968 से दो वर्ष की है और इसमें एक वर्ष के पश्चात् उपरोक्त सूची की संख्या चार के प्रतिनिधियों में से रिटायर होने अर्थात् एक वर्ष की अवधि के लिए उसी प्रकार के एक के किसी अन्य प्रतिनिधि के लिए जाने की व्यवस्था है ।

परिषद् समय-समय पर बैठक कर सकती है (वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य) ।

कार्य

कोयला मन्त्रणा परिषद् का कार्य सरकार को कोयले से सम्बन्धित सामान्य प्रकार से सभी विषयों पर और विशेषतः देश के कोयला संसाधनों के विकास, उपयोग और उचित संरक्षण के आयोजन से सम्बन्धित समस्याओं पर मन्त्रणा देना है ।

दिनांक 11 दिसम्बर 1968

सं० को-6-2(10)/68—भारत सरकार ने इससे पूर्व के इस्पात तथा खान मन्त्रालय (खान तथा धातु विभाग) के दिनांक 3 अक्तूबर 1964 के संकल्प सं० को-9-3(4)/63 के द्वारा देश में खनन इंजीनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं का पुनरावलोकन करने के लिए दो वर्ष की कार्यावधि के लिए खनन इंजीनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण सम्बन्धी संयुक्त बोर्ड का गठन किया था । इस कार्यावधि को पहले के खान तथा धातु मन्त्रालय की 21 नवम्बर 1966 की अधिसूचना सं० को०-6-2(2)/66 के द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था । क्योंकि बढ़ाई गई अवधि अब समाप्त हो गई है अतः संयुक्त बोर्ड के कार्यकाल को और 2 वर्षों के लिए 3 अक्तूबर 1970 तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है ।

2. संयुक्त बोर्ड के वर्तमान गठन में परमाणु शक्ति विभाग के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करने का भी निश्चय किया गया है। संयुक्त बोर्ड में अब निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

सचिव, खान तथा धातु विभाग, इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय ।

सदस्य

1. कोयला खनन सलाहकार, खान तथा धातु विभाग, इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय ।

2. शिक्षा मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि ।
3. कोयला खानों के लिए खनन परीक्षाओं के बोर्ड का एक प्रतिनिधि ।
4. धातुयुक्त खानों के लिए खनन परीक्षाओं के बोर्ड का एक प्रतिनिधि ।
5. खान सुरक्षा का महानिदेशक ।
6. श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय, श्रम और रोजगार विभाग का एक प्रतिनिधि ।
7. खनन शिक्षा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था वाले विश्व-विद्यालयों के दो प्रतिनिधि ।
8. खनन संस्थाओं के दो प्रतिनिधि ।
9. तकनीकी शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् का एक प्रतिनिधि ।
10. रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि ।
11. व्यावसायिक दस्तकारियों में प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् का एक प्रतिनिधि ।
12. खान मैनेजर-संस्था का एक प्रतिनिधि ।
13. कोयला खान मैनेजरों की राष्ट्रीय संस्था का एक प्रतिनिधि ।
14. इंडियन माइनिंग एसोसियेशन, इंडियन माइनिंग फैडरेशन, मध्य प्रदेश एण्ड विदर्भ माइनिंग एसोसियेशन तथा इंडियन कौलरी ओनर्ज एसोसियेशन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोयला उद्योग की संयुक्त कार्यकारी समिति का एक प्रतिनिधि ।
15. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड का एक प्रतिनिधि ।
16. नियन्त्रक, भारतीय खान ब्यूरो ।
17. संयुक्त सचिव (जन शक्ति), गृह मन्त्रालय ।
18. परमाणु शक्ति विभाग का एक प्रतिनिधि ।
19. निदेशक, खान तथा धातु विभाग, इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय (सदस्य सचिव) ।

के० के० धर,
निदेशक

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1969

संकल्प

सं० 7-पी० जी० (1)/69—भारत सरकार को मारमोगाव पत्तन की 1967-68 की प्रशासनिक रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातों की समीक्षा नीचे की जाती है :—

(1) वित्तीय स्थिति :

1967-68 में मारमोगाव पत्तन का कुल राजस्व 225.37 लाख रुपये (कनहारी से प्राप्तियों सहित) था 1966-67 में यह संख्या 197.75 लाख रुपये थी। आमदनी में वृद्धि मुख्यतः घाट शुल्क, पत्तन रेल और अन्य प्रभारों से हुए अधिक अर्जन के कारण हुई।

विचाराधीन वर्ष में 132·75 लाख रुपये का व्यय हुआ जबकि 1966-67 में यह संख्या 127·78 लाखरुपये थी। व्यय में वृद्धि के मुख्य कारण रख रखाव और परिचालन पर अधिक व्यय का होना है।

(2) यातायात :

1967-68 में पत्तन में 8,131,787 टन के यातायात की धरा उठाई की गई जबकि 1966-67 में यह संख्या 8,085,696 टन थी। विचाराधीन वर्ष में पत्तन में उसके अब तक के इतिहास में सार्वाधिक यातायात की धरा उठाई की गई। यातायात आंकड़ों का विभाजन इस प्रकार है :—

	1966-67	1967-68
	टन	टन
आयात	396,764	417,682
निर्यात	7,688,932	7,714,105

निर्यात में 7,666,922 टन खनिज पदार्थ और 47,183 टन सामान्य माल था।

(3) नौवहन :

1967-68 में पत्तन में आने वाले पोतों की संख्या 676 थी जो 6,503,737 कुल टन भार के थे। गत वर्ष यह संख्या 776 पोत तथा 6,606,952 कुल टन भार थी।

(4) यात्री यातायात :

1967-68 में मारमोगाव पत्तन में 9,509 यात्री जहाज पर से उतरे। गत वर्ष के संगत आंकड़े 10,242 (चढ़े) और 10,743 (उतरे) थे।

(5) पूंजीगत निर्माणकार्य :

1967-68 में पूंजीगत लेखा में 36.70 लाख रुपये का व्यय किया गया। कुछ पूंजीगत निर्माणकार्य जो किये ये और उन पर किया गया व्यय नीचे सूचित किया जाता है :—

निर्माण कार्य का नाम	व्यय (रुपये लाख में)
6 घाट क्रेनों का अर्जन . . .	11.39
अस्पताल का निर्माण . . .	6.10
तिरता पाइप लाइन का उत्पादन . .	4.46
192 कर्मचारी मकानों का निर्माण . .	3.33
नये प्रशासनिक भवन की पूर्ति . .	2.75
घाट 1 और 2 में फर्श लगाना . .	2.38
अतिथि घर का निर्माण . . .	1.53

(6) कल्याणकार्य :

पत्तन न्यास द्वारा इस वर्ष जो कल्याणकारी कार्य किये गये उनमें खेलकूद तथा मनोरंजन सुविधाएं, दो कान्टीनों का चलाया जाना और एक पत्तन कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, कर्मचारियों के लिये अधिक मकानों का बनाना और पत्तन अस्पताल का ढांचा बदलना तथा विस्तार करना, शामिल है।

(7) श्रमिक वर्ग स्थिति :

वर्ष भर पत्तन में श्रमिक वर्ग स्थिति संतोषजनक रही।

(8) मारमोगाव पत्तन न्यास ने उपयोगी कार्य किया और सरकार 1967-68 में उसके द्वारा किये गये कार्य की सराहना करती है।

जैड० एस० झाला, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इसकी एक प्रतिलिपि समस्त संबद्धों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य सूचनार्थ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

जैड० एस० झाला, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 फरवरी 1969

संकल्प

संख्या 7/1/67-एफ० आई० (एन० ए०)—संकल्प संख्या 7/1/67-एफ० आई० (एन० ए०) तारीख 27 जुलाई, 1968 द्वारा संशोधित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 7/1/67-एफ० आई० (एन० ए०), तारीख 4 मई 1968 का अधिक्रमण करते हुए, फ़िल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं :—

1. इन नियमों को फ़िल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों के नियम कहा जायेगा।

2. इन नियमों का उद्देश्य कलात्मक सौन्दर्य तथा तकनीकी दृष्टि से उच्च स्तर की तथा सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक महत्व की फ़िल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है।

3. इन नियमों के अन्तर्गत पुरस्कारों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी :—

(1) फ़िल्म कला के रूप में :

(क) (1) राष्ट्रीय सर्वोत्तम फ़ीचर फ़िल्म पुरस्कार :

वर्ष की राष्ट्रीय सर्वोत्तम फ़ीचर फ़िल्म के लिये राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक और उसके निर्माता को 20,000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा उसके निर्देशक को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न।

(2) द्वितीय सर्वोत्तम फ़ीचर फ़िल्म को विशेष पुरस्कार :

इसके निर्माता को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक तथा इसके निर्देशक को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न।

(3) परिवार नियोजन पर सर्वोत्तम फ़ीचर फ़िल्म को विशेष पुरस्कार :

इसके निर्माता को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक तथा इसके निर्देशक को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न।

(4) राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फ़ीचर फ़िल्म को विशेष पुरस्कार :

इसके निर्माता को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक तथा इसके निर्देशक को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिन्ह।

(5) प्रादेशिक पुरस्कार :

प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सर्वोत्तम फ़ीचरफ़िल्म के निर्माता को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और निर्देशक को एक पदक।

(ख) निर्देशन में उत्कृष्टता का पुरस्कार :

वर्ष के सर्वोत्तम निर्देशक को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न।

(ग) सिनेमाटोग्राफ़ी में उत्कृष्टता का पुरस्कार :

(1) सादी (ब्लैक एण्ड वाइट) फ़िल्म में सर्वोत्तम फोटोग्राफी के लिए कैमरामैन को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न, और

(2) रंगीन फ़िल्म में सर्वोत्तम फोटोग्राफी के लिये कैमरामैन को भी यही पुरस्कार।

(घ) वर्ष के सर्वोत्तम अभिनेता का पुरस्कार :

सर्वोत्तम अभिनेता को छोटी मूर्ति के रूप में "भरत पुरस्कार"।

(ङ) वर्ष की सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार :

सर्वोत्तम अभिनेत्री को छोटी मूर्ति के रूप में "उर्वशी पुरस्कार"।

(च) वर्ष के सर्वोत्तम बाल अभिनेता-अभिनेत्री का पुरस्कार :

सर्वोत्तम बाल अभिनेता या अभिनेत्री, जो 16 वर्ष से अधिक आयु का/की न हो, को एक प्रशस्ति चिह्न।

(छ) वर्ष के सर्वोत्तम पार्श्व गायक का पुरस्कार :

सर्वोत्तम पार्श्व गायक को एक प्रशस्ति चिह्न।

(ज) वर्ष की सर्वोत्तम पार्श्व गायिका का पुरस्कार :

सर्वोत्तम पार्श्व गायिका को एक प्रशस्ति चिह्न।

(झ) वर्ष के सर्वोत्तम संगीत निर्देशक का पुरस्कार :

यह पुरस्कार धुनों की मौलिकता के लिये दिया जायेगा। सर्वोत्तम संगीत निर्देशक को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न।

(ञ) वर्ष का सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले पुरस्कार :

सर्वोत्तम स्क्रिप्ट लेखक को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न।

(ट) वर्ष का सर्वोत्तम बाल फ़िल्म पुरस्कार :

निर्माता को 7,500 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक तथा निर्देशक को 2,500 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न।

(2) फ़िल्म सूचना साधन के रूप में :

(क) सर्वोत्तम सूचना फ़िल्म (डाकुमेन्ट्री) : निर्माता को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक तथा निर्देशक को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कारऔर एक प्रशस्ति चिह्न।

(ख) सर्वोत्तम शैक्षणिक फ़िल्म

निर्माता को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक तथा निर्देशक को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न ।

(ग) सर्वोत्तम सामाजिक फ़िल्म जो समकालीन सामाजिक समस्याओं को चित्रित करती हो और उनका निष्पक्ष विश्लेषण करती हो :

निर्माता को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक तथा निर्देशक को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न ।

(घ) सर्वोत्तम प्रेरक फ़िल्म (दो पुरस्कार) :

(1) सर्वोत्तम व्यवसाय वर्धक फ़िल्म (विज्ञापन सम्बन्धी फ़िल्म) को । निर्माता को एक पदक और निर्देशक को एक प्रशस्ति चिह्न ।

(2) सर्वोत्तम अव्यवसायिक फ़िल्म (अस्पृश्यता, सहकारी विकास, कृषि, कार्य, आदि सम्बन्धी फ़िल्म) को । निर्माता को एक पदक और निर्देशक को एक प्रशस्ति चिह्न।

(3) विशेष प्रकार की छोटी फ़िल्में :

(क) सर्वोत्तम प्रयोगात्मक फ़िल्म :

निर्माता को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक तथा निर्देशक को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न ।

(ख) सर्वोत्तम कार्टून (एनीमेशन) फ़िल्म :

निर्माता को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक तथा निर्देशक को 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिह्न ।

स्पष्टीकरण :

यहां पर 'निर्माता', 'निर्देशक', 'कैमरामैन', 'अभिनेता', 'अभिनेत्री' 'बाल अभिनेता', 'पार्श्व गायक', 'संगीत निर्देशक', 'स्क्रीन प्ले लेखक'/'स्क्रिप्ट लेखक', शब्दों से अभिप्राय क्रमश: उन 'निर्माता', 'निर्देशक', 'कैमरामैन', 'अभिनेता', 'अभिनेत्री', 'बाल अभिनेता', 'पार्श्व गायक', 'संगीत निर्देशक', 'स्क्रीन प्ले लेखक । स्क्रिप्ट लेखक' से होगा जिनके नामों का उल्लेख केन्द्रीय फ़िल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित फ़िल्म के शीर्षकों में होगा ।

4. (क) जिस श्रेणी की फ़िल्म की प्रविष्टियां दो से कम प्राप्त होंगी, उस फ़िल्म के निर्माता या निर्देशक को कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।

(ख) सरकार चाहे तो नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय रक्षा पत्रों और रक्षा जमा पत्रों या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इसी प्रकार के अन्य पत्रों के रूप में दे सकेगी ।

(ग) नियम 3 की श्रेणी 1(क) के अन्तर्गत पुरस्कार जीतने वाली हिन्दीतर भाषा में निर्मित फ़ीचर फ़िल्म के निर्माता को उसके उप शीर्षक हिन्दी में करवाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी ।

5. केन्द्रीय फ़िल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के ि पूर्वगामी कलेन्डर वर्ष में प्रमाणित हुई सभी भारतीय फ़ि प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकेंगी । इस बात की घोषणा निम या अन्य विधिवत अधिकृत व्यक्ति संलग्न परिशिष्ट में दिए फार्म में करेगा ।

बशर्ते कि एक फ़िल्म पुरस्कार के लिये नियम 3 में नि सर्वोत्तम फीचर फ़िल्म, परिवार नियोजन पर सर्वोत्तम फ़ि राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फ़िल्म, सर्वोत्तम बाल फ़िल्म, सर्वो सूचना फ़िल्म, सर्वोत्तम शैक्षणिक फ़िल्म, सर्वोत्तम सामाजिक फ़ि सर्वोत्तम प्रेरक फ़िल्म, सर्वोत्तम प्रयोगात्मक फ़िल्म और सर्वो कार्टून फ़िल्म की श्रेणियों में से केवल एक ही श्रेणी में प्रविष्ट सकेगी ।

6. (क) पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथि, जो भारत के राजपत्र में अधिसू की जाएगी, तक आमंत्रित की जाएगी ।

(ख) प्रत्येक प्रविष्टि इन नियमों की अनुसूची में दिए फार्म पर भेजी जाएगी और 35 मि०मी० में 1000 मीटर 3 16 मि० मी० में 4000 मीटर से अधिक लम्बी फ़िल्मों की प्रत प्रविष्टि के साथ 100 रुपये और उस से कम लम्बाई की फ़ि की प्रत्येक प्रविष्टि के साथ 50 रुपये की फीस भेजनी होगी । फीस वापिस नहीं की जायेगी ।

(ग) प्रत्येक प्रवेशक केन्द्रीय फ़िल्म सेन्सर बोर्ड के उस प्र शिक अधिकारी या दूसरे उस प्राधिकारी को जिसे निश्चित वि जाए, निम्नलिखित चीजें अपने खर्चे पर भेजेगा :—

(1) प्रादेशिक अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए स और स्थान पर केन्द्रीय फ़िल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्र णित फ़िल्म की एक प्रिंट ।

(2) अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद के साथ कथासार की : प्रतियां और यदि गीत हो तो उनकी भी अंग्रेजी हिन्दी भावानुवाद के साथ इतनी ही प्रतियां ।

(घ) केन्द्रीय समिति के देखने के लिये चुनी गई फ़िल्म प्रवेशक को अपने खर्चे पर फ़िल्म की प्रिंट तथा उसके कथासार अतिरिक्त 15 प्रतियों के साथ अपेक्षित संख्या में विस्तृत कथो कथन की प्रतियां, 6 फोटो, स्क्रिप्ट की हिन्दी या अंग्रेजी प्रति अ फ़िल्म से सम्बन्धित प्रचार सामग्री भी भेजनी होगी ।

(ङ) कोई फ़िल्म पुरस्कारों के लिये प्रविष्टि पाने के यो है या नहीं और कोई फ़िल्म फ़ीचर फ़िल्म, परिवार नियोजन सम्बन फ़िल्म, राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी फ़िल्म, बाल फ़िल्म, सूचना फ़ि शैक्षणिक फ़िल्म, सामाजिक फ़िल्म, प्रेरक फ़िल्म, प्रयोगात्मक कार्टून फ़िल्म है या नहीं इस सम्बन्ध में भारत सरकार का नि अन्तिम होगा ।

(च) यदि कोई फ़िल्म किसी ऐसी फ़िल्म का डब किया हु रूप, रिटेड या रूपान्तर है, जो पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापि राजकीय/राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में प्रविष्ट हो चु हो, तो वह प्रविष्टि की पात्र नहीं होगी, न ही वह अनुवर्ति परिवर्ध परिवर्तन या काट छाट के साथ भी प्रविष्टि की पात्र होगी ।

(छ) यदि किसी फ़िल्म के एक से अधिक भाषाओं में रूपांतर हो तो उसका निर्माता, उस फ़िल्म का केवल एक ही भाषा के रूपांतर को प्रविष्ट कर सकेगा।

(ज) पुरस्कारार्थ प्रविष्टि के लिये बाल फ़िल्मों की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० में 3,400 मीटर या 16 मि० मी० में 1,360 मीटर होगी। नियम 3 की (2) और (3) श्रेणियों के अन्तर्गत प्रविष्ट होने वाली फ़िल्म की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० में 1,000 मीटर या 16 मि० मी० में 400 मीटर होगी।

(झ) प्रविष्टि की अन्तिम तारीख में विशेष मामलों में सरकार की मर्ज़ी पर छूट दी जा सकेगी।

7. फ़िल्मों और प्रचार सामग्री के लाने, ले जाने पर जो खर्च होगा वह सारा प्रवेशक को देना होगा।

8. सभी फ़िल्में मालिक के जोखिम पर भेजी जाएंगी और यद्यपि सरकार उन सभी फिल्मों की समुचित संभाल करेगी, फिर भी उनको पास रखते समय किसी फ़िल्म के गुम हो जाने या खराब हो जाने की ज़िम्मेदारी सरकार पर नहीं होगी।

9. नीचे दी हुई प्रत्येक भाषा के लिए सरकार द्वारा एक-एक प्राथमिक समिति नियुक्त की जाएगी जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर अधिक-से-अधिक 5 सदस्य होंगे : —

असमिया, बंगला, अंग्रेज़ी, गुजराती, हिन्दी, (उर्दू और हिन्दुस्तानी और भोजपुरी, राजस्थानी, मथिली, जैसी सम्बन्धित बोलियों सहित) कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी (कौंकनी सहित) उड़िया, पंजाबी, सिन्धी, तमिल और तेलुगु।

यदि किसी भाषा विशेष में प्रविष्टियों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी, तो उस भाषा विषयक कोई प्राथमिक समिति गठित नहीं की जाएगी और वे फ़िल्में सीधी सम्बन्धित प्रादेशिक समिति द्वारा देखी जाएंगी (प्राथमिक समितियों में अध्यक्ष सहित सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जो कला या साहित्य क्षेत्र म पारंगत हो और जिनमें फ़िल्मों के कलात्मक और तकनीकी की जांच करने की योग्यता हो।

10. प्रत्येक प्राथमिक समिति, प्रादेशिक समिति को नियम 3 की श्रेणी 1(क) या 1(क) (5) के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए, श्रेष्ठताक्रम से, अधिक-से-अधिक तीन फ़ीचर फ़िल्मों की सिफारिश करेगी। इसी प्रकार वह, श्रेष्ठताक्रम से, नियम 3 की श्रेणी 1(क) (3) और 1(क) 4 के अन्तर्गत भी पुरस्कार के लिए अधिकतम तीन-तीन फ़िल्मों की सिफारिश करेगी। इसके अलावा यह समिति प्रादेशिक समिति के विचारार्थ निर्देशन की उत्कृष्ठता, सिनेमाटोग्राफ़ी की उत्कृष्टता तथा सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले के सम्बन्ध में एक-एक फ़िल्म की सिफारिश करेगी तथा ऐसी भी अधिकतम एक-एक फ़िल्म सुझाएगी जिनमें सर्वोत्तम अभिनेता, सर्वोत्तम अभिनेत्री, सर्वोत्तम बाल अभिनेता/अभिनेत्री, सर्वोत्तम पार्श्व गायक, सर्वोत्तम पार्श्व गायिका, और सर्वोत्तम संगीत निर्देशक हों।

11. सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित प्रादेशिक समितियां, प्राथमिक समितियों द्वारा सिफारिश की गई फ़ीचर फ़िल्मों और नियम 3(1)(ख) से (ञ) तक की श्रेणियों के अन्तर्गत सिफारिश की गई फ़िल्मों की जांच करेगी। ये समितियां उन भाषाओं की फ़िल्मों की भी जांच करेगी, जिसमें प्रविष्टियों की संख्या तीन से अधिक नहीं होंगी :—

1. प्रादेशिक समिति, बम्बई—हिन्दी (उर्दू और हिन्दुस्तानी और भोजपुरी, राजस्थानी और मैथिली जैसी सम्बन्धित बोलियों सहित), मराठी (कौंकनी सहित) पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, सिंधी और अंग्रेज़ी।
2. प्रादेशिक समिति, कलकत्ता—बंगला, असमिया और उड़िया।
3. प्रादेशिक समिति, मद्रास—तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम।

12. प्रत्येक समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

(क) सरकार द्वारा नामज़द एक अध्यक्ष।

(ख) सरकार द्वारा नामज़द, फ़िल्म गुण-दोष विवेचन, कला या साहित्य क्षेत्र में पारंगत अधिक-से-अधिक 6 व्यक्ति। (इन व्यक्तियों को चुनने में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि प्रदेश की सभी भाषाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके)।

(ग) फ़िल्मों का तकनीकी स्तर, प्रस्तुति, निर्देशम और विषय प्रतिपादन परखने की योग्यता वाले अधिक-से-अधिक तीन व्यक्ति जो उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की सूची में से सरकार द्वारा नामज़द किये जायेंगे।

13. प्रादेशिक समिति नियम 3(1)(क)(1)(3) और (4) के अन्तर्गत, श्रेष्ठ क्रम से प्रत्येक श्रेणी की अधिक-से-अधिक 3 फ़ीचर फ़िल्मों की सिफारिश करेगी इसके अतिरिक्त, वह एक-एक उन फिल्मों की भी सिफारिश करेगी, जो उत्कृष्ट निर्देशन और उत्कृष्ट सिनेमाटोग्राफ़ी के लिए पुरस्कार की हकदार होंगी और अखिल भारतीय पुरस्कारों के लिए केन्द्रीय समिति के विचारार्थ सर्वोत्तम अभिनेता, सर्वोत्तम अभिनेत्री, सर्वोत्तम बाल अभिनेता/अभिनेत्री, सर्वोत्तम पार्श्व गायक, सर्वोत्तम पार्श्व गायिका, संर्वोत्तम संगीत निर्देशक और सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले लेखक/स्क्रिप्ट लेखक नामज़द करेगी। ये सिफारिशें फ़िल्म की भाषा का विचार किए बिना की जाएंगी।

14. (1) प्रादेशिक समिति, केन्द्रीय सरकार को प्रादेशिक पुरस्कारों के लिये उस भाषा की फ़िल्म को छोड़ कर जिसकी केवल एक ही फ़िल्म प्रविष्ट हुई हो, अन्य प्रत्येक भाषा की एक-एक फ़ीचर फ़िल्म की भी सिफारिश करेगी।

(2) यदि प्रादेशिक पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई फ़िल्म की अखिल भारतीय पुरकार के लिये भी सिफारिश की गई हो, तो उस अवस्था में प्रादेशिक समिति, श्रेष्ठता क्रम से, दो फ़िल्मों की प्रादेशिक पुरस्कार के लिये सिफारिश करेगी।

(3) यदि प्रादेशिक समिति द्वारा नियम 3 की श्रेणी 1(क) या 1(क) (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई किसी विशिष्ट भाषा की

फ़ीचर फ़िल्म पुरस्कार जीतने में असफल हो जाए, तो यह समझा जाएगा कि प्रादेशिक समिति ने उस फ़िल्म की उस भाषा की सर्वोत्तम फीचर फ़िल्म के रूप में सिफारिश की है।

15. पुरस्कारार्थ प्रविष्ट सूचना फ़िल्मों (डाकुमेन्ट्री) शैक्षणिक फ़िल्मों और सामाजिक फ़िल्मों (समकालीन समस्या से सम्बन्धित) की प्रारम्भिक जांच सरकार द्वारा नियुक्त एक डाकुमेन्ट्री फ़िल्म समिति करेगी जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यह समिति, केन्द्रीय समिति के विचारार्थ, श्रेष्ठताक्रम से, उपर उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी की अधिक-से-अधिक तीन फ़िल्मों तक की सिफारिश करेगी।

16. पुरस्कारार्थ प्रविष्ट प्रेरक फ़िल्मों, प्रयोगात्मक और कार्टून फ़िल्मों की प्रारम्भिक जांच सरकार द्वारा नियुक्त एक लघु फ़िल्म समिति करेगी जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। यह समिति, केन्द्रीय समिति को, श्रेष्ठता क्रम से, उपर उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी की अधिक-से-अधिक तीन फ़िल्मों की सिफारिश करेगी।

17. बाल फ़िल्मों की श्रेणी के अन्तर्गत प्रविष्ट फ़िल्मों की जांच सीधे केन्द्रीय समिति करेगी।

18. केन्द्रीय समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

(क) सरकार द्वारा नामजद एक अध्यक्ष।

(ख) सरकार द्वारा नामजद फ़िल्म गुण-दोष विवेचन, कला या साहित्य में प्रतिष्ठित अधिक-से-अधिक 6 व्यक्ति।

(ग) फ़िल्मों की प्रस्तुति, निर्देशन, और विषय प्रतिपादन की परख की योग्यता रखने वाले अधिक-से-अधिक तीन व्यक्ति, जो उद्योग की प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की सूची में स सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे।

19. (1) नियम 12 और 18 के बावजूद सरकार, केन्द्रीय प्रादेशिक समिति में इतने सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी, जितने उसके विचार में इस बात के लिये आवश्यक होंगे कि जिन-जिन भाषाओं की फ़िल्म की जांच करनी है, उनमें उन सब भाषाओं के जानने वाले सदस्यों की प्रयाप्त संख्या हो या उन्हें विशेष ज्ञा हो।

(2) बाल फ़िल्मों को देखने के लिए केन्द्रीय सरकार, बाल शिक्षा या बाल समस्याओं के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले एक या दो सदस्यों को केन्द्रीय समिति में सहयोजित कर सकेगी।

(3) नियम 15 और 16 की कोई बात, डाकुमेन्ट्री फ़िल्म समिति और लघु फ़िल्म समिति को सहायता देने के लिये विशिष्ट ज्ञान रखने वाले अतिरिक्त सदस्यों या सदस्यों के सहयोजन को नहीं रोकेगी। इस प्रकार से सहयोजित सदस्यों को साधारण सदस्यों के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

20. केन्द्रीय, प्रादेशिक, प्राथमिक, डाकुमेन्ट्री फ़िल्म समिति और लघु फ़िल्म समिति की सदस्यता अवैतनिक होगी, लेकिन सदस्यों को सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर सफ़र और सवारी भत्ते दिये जायेंगे।

21. केन्द्रीय समिति और प्रादेशिक समितियों को यह अधिकार होगा कि वे ऐसी किसी भी फ़िल्म को, जिसकी प्रादेशिक समितियों या प्राथमिक समितियों द्वारा सिफोरिश न की गई हो, फ़िर से जांच करने के लिए मंगाएं और क्रमशः अखिल भारतीय या प्रादेशिक पुरस्कार के लिये उस पर विचार करें।

22. केन्द्रीय समिति, बाल फ़िल्मों और प्रादेशिक समितियों, डाकुमेन्ट्री फ़िल्म समिति और लघु फ़िल्म समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् नियम 3 में उल्लिखित प्रादेशिक पुरस्कारों को छोड़ कर अन्य पुरस्कारों के बारे में अपनी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

23. प्राथमिक समितियां, प्रादेशिक समितियां, डाकुमेन्ट्री फ़िल्म समिति, लघु फ़िल्म समिति और केन्द्रीय समिति फ़िल्मों की जांच करने के लिए अपनी-अपनी कार्यविधि स्वयम् निश्चित करेंगी।

24. प्राथमिक समितियों, प्रादेशिक समितियों, डाकुमेन्ट्री फ़िल्म समिति, लघु फ़िल्म समिति और केन्द्रीय समिति का कोरम सहयोजित सदस्यों को मिलाकर सदस्यों का कुल संख्या का आधे से कम नहीं होगा।

25. इन नियमों में निहित कोई बात प्राथमिक समिति, प्रादेशिक समिति, डाकुमेन्ट्री फ़िल्म समिति, लघु फ़िल्म समिति, या केन्द्रीय समिति के लिये यह सिफारिश करने में बाधक नहीं होगी कि किसी विशेष भाषा या श्रेणी की फ़िल्मों में से कोई भी फ़िल्म या किसी प्राथमिक समिति या प्रादेशिक समिति या केन्द्रीय समिति द्वारा परखी गई फ़ीचर फ़िल्मों का कोई भी स्क्रीन प्ले लेखक, निर्देशक, कैमरामैन, अभिनेता, अभिनेत्री, बाल अभिनेता, पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक पुरस्कार के लिये समुचित स्तर का नहीं है।

26. केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय समिति और प्रादेशिक समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अखिल भारतीय और प्रादेशिक पुरस्कारों का निर्णय करेगी।

27. प्राथमिक समितियां, प्रादेशिक समितियां, डाकुमेन्ट्री फ़िल्म समिति, लघु फ़िल्म समिति और केन्द्रीय समिति ऐसे स्थान और समय पर फ़िल्मों की जांच करेगी जिसे वे सुविधाजनक समझे।

28. सरकार को यह अधिकार होगा कि वह पुरस्कारों के लिये प्रविष्ट उस फ़िल्म की प्रिंट को, जिसे पदक, प्रशिस्त चिह्न और/या नकद के रूप में कोई पुरस्कार मिला हो, बिना किसी मूल्य के अपने पास रख सके।

29. पुरस्कार, प्रतिवर्ष पुरस्कार वितरण समारोह में दिये जायेंगे जिसकी तिथि और जगह सरकार द्वारा निश्चित की जायेगी।

30. यदि किसी प्रविष्ट फ़िल्म के पक्ष में किसी भी प्रकार की पैरवी होगी तो वह पुरस्कार के अयोग्य ठहरा दी जायेगी। यदि केन्द्रीय समिति, डाकुमेन्ट्री फ़िल्म समिति, लघु फ़िल्म समिति, प्रादेशिक समितियों या प्राथमिक समितियों का कोई भी सदस्य किसी विशिष्ट फ़िल्म के लिये पैरवी करता हुआ पाया गया तो वह समिति की सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

31. यदि किसी पुरस्कृत फ़िल्म का निर्माता और निर्देशक एक ही व्यक्ति हो और वह दोनों रूप में पुरस्कार का पात्र हो तो उसे निर्माता या निर्देशक के रूप में केवल एक ही पुरस्कार मिलेगा, दोनों नहीं।

32. पुरस्कारों और इन नियमों के सही मतलब का जहां तक सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार के निर्णय अन्तिम होंगे और उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

33. जो व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत फ़िल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में भाग लेगा तो समझा जाएगा कि उसने ये नियम मान लिए है।

(फ़िल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के नियमों का परिशिष्ट)

सेवा में,

प्रादेशिक अधिकारी,
केन्द्रीय फ़िल्म सेन्सर बोर्ड,
बम्बई/कलकत्ता/मद्रास।

फ़िल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रविष्ट

1. मैं वर्ष ..... के लिए फ़िल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित फ़िल्म प्रविष्ट करना चाहता हूं :—

(1) फ़िल्म का शीर्षक।

(2) **वर्गीकरण** : फ़ीचर/बाल चित्र/डाकुमेन्ट्री/शैक्षणिक/सामाजिक/प्रेरक (व्यावसायिक)/प्रेरक (अव्यावसायिक)/प्रयोगात्मक कार्टून फ़िल्म।

(3) फ़िल्म की भाषा।

(4) फ़िल्म की लम्बाई, गेज और समय।

(5) रीलों की संख्या।

(6) सादी/रंगीन।

(7) निर्माता का नाम और पूरा पता (यदि टेलीफोन नं० और तार का पता हो तो उसके साथ)।

(8) निर्देशक का नाम और पूरा पता।

(9) स्क्रीन प्ले लेखक/स्क्रिप्ट लेखक का नाम और पूरा पता।

(10) (क) नायक और नायिका के नाम और पूरे पते।
(ख) यदि 16 वर्ष से कम का कोई बाल अभिनेता हो तो उसका नाम और पूरा पता।

(11) (क) पार्श्व गायक का नाम और पूरा पता।
(ख) पार्श्व गयिका का नाम और पूरा पता।

(12) कैमरामैन का नाम और पूरा पता।

(13) संगीत निर्देशक का नाम और पूरा पता।

(14) केन्द्रीय फ़िल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रदर्शन-प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख।

(15) रिलीज़ होने की तारीख।

(16) यदि फ़िल्म किसी दूसरी फ़िल्म का डब किया हुआ रूप, रूपान्तर या रिटेक है, तो जिस फ़िल्म का वह डब किया हुआ रूप, रूपान्तर या रिटेक है, उसका ब्यौरा।

2. मैं ने इन पुरस्कारों सम्बन्धी नियम पढ़ लिए हैं और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

3. मैं घोषणा करता हूं कि मैं यह प्रविष्टि भेजने के लिए फ़िल्म के निर्माता द्वारा विधिवत अधिकृत हूं (यह घोषणा उस हालत में करनी है जब प्रविष्टि भेजने वाला व्यक्ति निर्माता न हो)।

4. मैं प्रमाणित करता हूं कि यह फ़िल्म किसी ऐसी फ़िल्म का डब किया हुआ रूप, रूपान्तर या रिटेक नहीं है जो पहले किसी राजकीय/राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रविष्ट हुई हो, और प्रविष्टि के रूप में जो प्रिंट भेजी जा रही है वह ठीक उसी रूप म है जिसमें वह केन्द्रीय फ़िल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणित की हुई है।

5. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सच है।

6. मैं एतद्द्वारा यह भी स्वीकार करता हूं कि यदि इस फ़िल्म को पदक/प्रशस्ति चिह्न और/या/नकद के रूप में कोई पुरस्कार मिला, तो सरकार बिना किसी मूल्य के इस की प्रिंट रख सकेगी।

7. मुझे पुरस्कार जीतने वाली फ़िल्म को, फ़िल्मों के राष्ट्रीय उत्सवों में, जिन्हें सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के उपरान्त आयोजित करे, सामान्य जनता के लिए विशेष प्रदर्शन करने में आपत्ति नहीं है। मैं यह भी समझता हूं कि इसको दिखाने में टिकटों की बिक्री से जो आय होगी वह सरकारी कोष में जमा होगी।

तारीख ..... हस्ताक्षर

स्थान ..... पता .....

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हरि बाबू कंसल,
अवर सचिव

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय

(निर्माण तथा आवास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 1969

संकल्प

विषय :—भारत सरकार के मुद्रणालयों में उत्पादन की लागत की जांच करने के लिए तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के मुद्रणालयों की लागत से तुलना करने के के लिए लागत अध्ययन टोम (कास्ट स्टडी टीम) का गठन।

सं० एस० एण्ड पी० 2/27(5)/53-पी० 1—इस मंत्रालय के दिनांक 9 फरवरी 1968 के संकल्प संख्या एस० एण्ड पी० 27(5) 53-पी० 1 जिसकी तरमीम दिनांक 19 नवम्बर 1968 के संकल्प संख्या एस० एण्ड पी० 2/27(5) 53-पी० 1 द्वारा हुई, के अधीन स्थापित लागत अध्ययन टोम (कास्ट स्टडी टोम) के विचारणीय विषय को निम्न रूप से परिवर्द्धित करने का निर्णय किया गया है :—

अध्ययन (स्टडी) टोम के विचारणीय विषय इस प्रकार होंगे :—

(i) भारत सरकार के मुद्रणालयों में उत्पादन की लागत की जांच करना, तथा उनका गैर-सरकारी क्षेत्र की लागत से तुलना करना; और

(ii) प्रति पृष्ठ दर सूत्र निर्धारित करते हुए अथवा लागत व ऊपरी खर्च को मिलाकर एक-सी मूल्यांकन नीति तैयार करने के प्रश्न की जांच करना।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेज दिया जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० प्रभाकर राव,
संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(Posts & Telegraphs Board)

New Delhi, the 7th February 1969

No. 23/17/66-*LI*.—The President hereby directs that the following further amendment shall be made in the Rules relating to Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely :—

For rule 3 with Note and Exception thereunder, the following shall be *substituted*, namely—

"3. Any person who is admissible to the benefits of the Post Office Insurance Fund under rule 2, 2-A, 2-B or 2-C, may effect an insurance—life insurance or endowment assurance or both—on his life for a sum not less than Rs. 100 in each class but not more than an aggregate of Rs. 30,000 in all classes of insurance taken together. Within these limits the sum assured must be in multiples of Rs. 100.

NOTE.—In calculating the aforesaid maximum limits, policies that have been either surrendered or taken payment of on maturity shall not be taken into account.

Exception.—In the case of a life which has already been insured for Rs. 50 or a multiple of it a further policy for Rs. 50 or a multiple of it will be issued only when it becomes necessary to make the total sum assured into a multiple of Rs. 100."

MADAN KISHORE, Member (Banking & Insurance)

MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING

Transport Wing

RESOLUTION

New Delhi, the 6th February 1969

No. 7-*PG*(1)/69.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Mormugao for the year 1967-68. The noteworthy features of the Report are reviewed below :—

(1) *Financial Position* :

The total revenue of the port of Mormugao during the year 1967-68 was Rs. 225.37 lakhs (including the receipts from Pilotage) as against Rs. 197.75 lakhs during 1966-67. The increase in income was mainly due to increased earnings from Port Railway, wharfage and other dues.

The expenditure during the year under review was Rs. 132.75 lakhs as compared to Rs. 127.78 lakhs during 1966-67. The increase in expenditure was mainly due to increased maintenance and operational costs.

(2) *Traffic* :

The traffic handled at the Port during the year 1967-68 totalled 8,131,787 tonnes as against 8,085,696 tonnes during 1966-67. The traffic handled in the year under review was the highest so far recorded in the history of the Port. The break-up of traffic figures is as under :—

	1966-67	1967-68
	Tonnes	Tonnes
Imports	396,764	417,682
Exports	7,688,932	7,714,105

The exports consisted of 7,666,922 tonnes of Ores and 47,183 tonnes of General Cargo.

(3) *Shipping* :

The number of vessels which entered the port during 1967-68 was 676 with a gross tonnage of 6,503,737 as against 776 vessels with a gross tonnage of 6,606,952 during the previous year.

(4) *Passenger Traffic* :

During 1967-68, 9,027 passengers embarked and 9,509 passengers disembarked at the port of Mormugao. The corresponding figures for the previous year were 10,242 (embarked) and 10,743 (disembarked).

(5) *Capital Works* :

During 1967-68, an expenditure of Rs. 36.70 lakhs was incurred on Capital Account. Some of the Capital Works undertaken and the expenditure incurred thereon are indicated below :—

Name of work	*Expenditure* (in lakhs of Rupees)
Acquisition of 6 wharf cranes	11.39
Construction of a hospital	6.10
Manufacture of floating pipelines	4.46
Construction of 192 staff quarters	3.33
Completion of new Administrative building	2.75
Paving of berths 1 and 2	2.38
Construction of a Guest House	1.53

(6) *Welfare* :

The Welfare measures undertaken by the Port Trust during the year included recreational and entertainment facilities, running of two canteens and a Port Employees' Consumers' Cooperative Society, construction of more quarters for the staff and extension and remodelling of the Port Hospital.

(7) *Labour Situation* :

The labour situation in the Port remained generally satisfactory during the year.

(8) The Mormugao Port Trust Board performed useful work and Government view with satisfaction the work done during the year 1967-68.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Z. S. JHALA, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NATIONAL AWARDS FOR FILMS

RESOLUTION

New Delhi-1, the 7th February 1969

No. 7/1/69-*FI*(*NA*).—In supersession of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 7/1/67-FI(NA), dated the 4th May, 1968 as amended by Resolution No. 7/1/67-FI(NA), dated the 27th July, 1968 the following Rules are notified for regulating the National Awards for Films :—

1. These rules shall be called Rules for the National Awards for Films.

2. The object of these awards is to encourage the production of films of a high aesthetic and technical standard and of social, educational and cultural value.

MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY

Department of Works and Housing

New Delhi, the 4th February 1969

RESOLUTION

SUBJECT :—*Constitution of a Cost Study Team to study the cost of production in Government of India Presses* vis-a-vis *private presses.*

No. S&PII-27(5)/53-PI.—It has been decided to enlarge the terms of reference of the Cost Study Team, set up under this Ministry's Resolution No. S&PII/27(5)/53-PI, dated the 9th February, 1968 as modified by Resolution No. S&PII/27(5)/53/PI, dated the 19th November, 1968, as under :—

The terms of reference of the Study Team will be—

(i) to investigate the cost of production in the Government of India Presses and their comparison with the costs in the private sector; and

(ii) to examine the question of evolving a uniform pricing policy, either by fixing a page rate formula or by pooling of costs and overheads.

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. PRABHAKAR RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969